प्रारम्भिक डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्डाधिकारी राजाखेडा
अज इजलास :– सन्तोष कुमार गोयल (आर0ए0एस0)
व मु0 उनवान :–

1. राजेन्द्र जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन निवासी वार्ड नं0 8 राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
--- बादी

बनाम

1. लाखन पुत्र तांती जाति ठाकुर निवासी परसुआपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
2. तहसीलदार जी राजाखेडा बहैसियत लैण्ड होल्डर

--- प्रतिवादीगण

दावा– बंटवारा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा
मु0 नम्बर 73 / 19

निर्णय दिनांक 16.12.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ श्री सन्तोष कुमार गोयल (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री अश्विनी कुमार जैन अभिभाषक बादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा बादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 114 / 12 रकवा 4–02 बीघा, स्थित ग्राम रूध नाहिला तहसील राजाखेडा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः तहसीलदार राजाखेडा से पक्षकरो के दर्ज हिस्से के अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजीयात के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायायल में भिजवाने हेतु परवाना जारी हो।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.12.2019 / 21.01.2021 को जारी की गई।

(बृजेश कुमार नागल)
उपखण्डाधिकारी
राजाखेडा

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)